

प्रपत्र-27 'क' [देखिए नियम 79 (3)]

(दो प्रतियों में)

सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई सरकारी आवास सुविधा नहीं लेने पर  
प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

.....  
.....  
.....

(कार्यालय अध्यक्ष)

विषय :- सरकारी आवास सुविधा का अधिभोग नहीं करने का प्रमाण-पत्र

महोदय,

मैं ..... जो आपके विभाग में

..... के पद पर कार्य कर रहा हूँ, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं सरकारी आवास सुविधा का अधिभोग नहीं कर रहा हूँ एवं/या मैंने लोक निर्माण विभाग के स्टोर से फर्नीचर आदि जैसे कोई वस्तु किराए पर नहीं ली है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि यदि इस दिनाङ्क के बाद किसी सरकारी आवास सुविधा का मेरे द्वारा अधिभोग किया गया तो उसके सम्बन्ध में किराए की वसूली के लिए आपको सूचित कर दूँगा।

भवदीय

हस्ताक्षर

दिनाङ्क .....

सरकारी कर्मचारी का नाम व पद

प्रपत्र-28 'क' (देखिए नियम 94-प्रक्रिया)

जहाँ सरकारी कर्मचारी ने कोई दीर्घकालिक अग्रिम नहीं लिया हो उसके द्वारा प्रमाण-पत्र का प्रपत्र  
(दो प्रतियों में)

सेवा में,

.....  
.....  
.....

(कार्यालय अध्यक्ष)

विषय :- कोई दीर्घ अग्रिम नहीं लेने का प्रमाण-पत्र

मैं ..... जो आपके कार्यालय में  
..... पद पर कार्य कर रहा हूँ एतत् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने  
सरकार से अपनी पूर्ण सेवा अवधि में किसी प्रकार कोई दीर्घकालिक अग्रिम अर्थात् भवन निर्माण अग्रिम, भवन मरम्मत अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि नहीं लिया है।

भवदीय

हस्ताक्षर

(सरकारी कर्मचारी का नाम)

दिनाङ्क .....

.....

पद .....

संख्या .....

दिनाङ्क .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त घोषणा की सेवा पुस्तिका, वेतन बिलों की कार्यालय प्रतियों एवं जिस कार्यालय से वह इस कार्यालय में स्थानान्तरित हुआ है, उसके द्वारा जारी किए अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं कार्यालय में उपलब्ध अन्य रिकार्ड के आधार पर जाँच कर ली है तथा उसे सही पाया है।

हस्ताक्षर

कार्यालय अध्यक्ष

पद .....

मुहर